20 अप्रैल, 2020 **सरकारी**
आदेश 2020-29

<u>कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>
<u>(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 27)</u>

जबकि, कोरोनावायरस 2019 (कोविड-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो लोगों में श्वसन द्वारा संक्रमण फैला सकता है और इन्फ़्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, कुछ ही समय में, कोविड-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया है, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय लोक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस संबंध में अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त दिशा-निर्देश दिया जाना आवश्यकता हो गया है; और,

जबकि, इलिनॉय में कोविड-19 के मामले विस्फोटक गति से तथा अधिकाधिक स्थानों पर बढ़ रहे हैं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या बढ़ रही है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (*the First Gubernatorial Disaster Proclamation*) और,

जबकि, सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा विस्तारित सरकारी आदेश 2020-10 द्वारा अनिवार्य किया गया है की इलिनॉय के निवासी घर में ही रहें उसके अलावा जबकि आदेश द्वारा अनुमति दी गई हो और यह कि राज्य के भीतर सभी गैर-आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियाँ राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा; की शेष समयावधि के लिए बंद किए जाते हैं; और,

जबकि, मैंने कोविड-19 के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (*the Second Gubernatorial Disaster Proclamation*), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (*First Gubernatorial Disaster Proclamation*), के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएँ (*the Gubernatorial Disaster Proclamations*); और,

जबकि, सरकारी आदेश 2020-10 "बीमा सेवाओं" की आवश्यक व्यवसायों और गतिविधियों की एक श्रेणी के रूप में पहचान करता है; और,

जबकि, इलिनॉय का बीमा विभाग इलिनॉय बीमा कोड 215 ILCS 5/1 et. seq.; में निर्धारित किए गए अधिकार के अनुसार इलिनॉय के कुछ बीमा पेशेवरों को लाइसेंस देता है; और,

जबकि, इलिनॉय बीमा कोड के अनुसार बीमा विभाग द्वारा किसी पेशेवर लाइसेंस के जारी होने या नवीनीकरण से पहले इलिनॉय के बीमा पेशेवरों को व्यक्तिगत रूप से कुछ निश्चित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को पूरा करना होता है; और,

जबकि, घर पर रहने के आदेश और समूह में एकत्रित होने को प्रतिबंधित करने के कारण, और कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने और लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, शैक्षणिक प्रदाताओं ने पूर्व निर्धारित व्यक्तिगत क्लास रूम बीमा पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, और इस तरह से कुछ लाइसेंस प्राप्त बीमा पेशेवरों के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वैधानिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में से कुछ को पूरा करना असंभव बना दिया है; और,

जबकि, मुझे पेशेवर बीमा लाइसेंस देना जारी रखने के लिए अनुमति देना आवश्यक लगता है जबकि सरकारी आदेश 2020-10 के सामाजिक दूरी के उपाय प्रभावशील हैं, जो बीमा पेशेवरों के निरंतर लाइसेंसिंग और रोज़गार और इस महामारी के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक बीमा सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता के लिए महत्त्वपूर्ण है;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (*Illinois Emergency Management Agency Act),* 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसार, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

धारा 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान, इलिनॉय इंश्योरेंस कोड के निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधान और उनकेसंलग्न नियम, जिनके अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करना और परीक्षा देना जरूरी होता है ताकि पेशेवर बीमा लाइसेंस जारी रखा जाए या प्राप्त किया जाए, को केवल निम्नलिखित सीमा तक निलंबित किया जाता है:

a) बीमा प्रोड्यूसर और पब्लिक एडजस्टर के लाइसेंस के लिए निर्धारित किए गए क्लास रूम पढ़ाई के घंटे जो कि 215 ILCS 5/500-30(a)(3) और (b), और 5/1565(a) में दर्शाए गए हैं और 50 इलिनॉय. प्रशासनिक. कोड 3119.50(b) और 3118.65(a) में दर्शाए गए संलग्न नियम, वेबिनार या अन्य अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु आवश्यक घंटों की अनुमति देने के लिए जरूरी सीमा तक निलंबित किया जाता है।

b) 90 दिनों की सीमा जो 215 ILCS 5/500-65 के अनुसार जारी किए गए अस्थाई बीमा पेशेवर प्रोड्यूसर लाइसेंस की सीमा है को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए निलंबित किया जाता है। ऐसे लाइसेंस जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा।

c) 215 ILCS 5/500-25(a) में निर्धारित की गई आवश्यकता जिसके अनुसार दो-भागों वाली प्रोड्यूसर परीक्षा के दोनों भाग एक दोनों के 90 दिनों के भीतर पास किए जाने चाहिए,को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए निलंबित किया जाता है।

अनुभाग 2. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया हैं।

____

जेबी प्रित्ज़कर (JB Pritzker),
राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को जारी
राज्य सचिव (*Secretary of State*) द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को दर्ज